



चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 26.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एण्टी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनांक 26.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता

कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बुधुवा पुत्र सुबराती निवासी ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

30 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा थाना पहाड़ी
2. आरक्षी आशीष कुमार
3. महिला आरक्षी रेखा भारती

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उनकी टीम द्वारा ताश के पत्तों पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये अभियुक्त 1. अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल हकीम निवासी द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2. चन्द्रकान्त सोनी पुत्र द्वारिका प्रसाद सोनी निवासी बस स्टैण्ड थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 5560/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 2850/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. मालफड़ 5560/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते
2. जामातलाशी से 2850/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना कोतवाली कर्वी
2. मुख्य आरक्षी शशि कुमार
3. आरक्षी नीतू द्विवेदी
4. आरक्षी बहोरन सिंह
5. आरक्षी शिवपूजन यादव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने सीतापुर क्षेत्र में हुयी ई-रिक्शा चालक के साथ लूट की घटना के एक और वांछित अभियुक्त को लूटे गये मोबाइल व 04 देशी बम के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.02.2024 को ई-रिक्शा चालक श्री दीपक निषाद पुत्र छोटू निषाद निवासी डेलउरा सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि रात्रि में 03 अज्ञात अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट कर उनका ई-रिक्शा, मोबाइल फोन व नगदी लूट ली है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 118/2024 धारा 392,323,504,506 भादवि0 बनाम 03 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना एवं घटना के अनावरण हेतु उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह को निर्देशित किया गया था। उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह तथा उनके टीम द्वारा पूर्व में विवेचना से प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा इनके कब्जे से लूट का ई-रिक्शा एवं बैटरी बरामद की गयी थी। कल दिनांक 25.06.2024 को बनकट मोड़ से विवेचना से प्रकाश में आये तीसरे अभियुक्त दीपक वाजपेई पुत्र राम नरेश निवासी राजापुर हनुमान मंदिर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को लूटा गया वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन तथा 04 देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदशुदा देशी बम को मौके पर नष्ट किया गया तथा बम बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 413/2024 धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया गया। लूट का मोबाइल बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 118/2024 धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

दीपक वाजपेई पुत्र राम नरेश निवासी राजापुर हनुमान मंदिर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
बरामदगी:-

1. लूट का वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन
2. 04 देशी बम

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी राहुल देव
3. आरक्षी शिवपूजन यादव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी, उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय, उ0नि0 यूटी0 श्री शिवम कनौजिया, आरक्षी शक्ति सिंह, आरक्षी राहुल पुरी द्वारा मु0अ0सं0 60/2024 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना रैपुरा के

वांछित अभियुक्त अनूप सविता उर्फ अनूप कुमार पुत्र चुनवाद निवासी औगासी रोड, कृष्णा नगर थाना बबेरू जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय थाना सरधुवा तथा उनके हमराही आरक्षी अतुल मिश्रा द्वारा मु0अ0सं0 105/2024 धारा 354,504 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त अमित तिवारी पुत्र नकुल तिवारी निवासी बरद्वारा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर, उ0नि0 श्री के.डी. मिश्रा, आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा, आरक्षी उज्जवल पाण्डेय द्वारा मु0अ0सं0 17/2024 धारा 420,467,468,471,506 भादवि0 के वांछित अभियुक्त प्रेमसागर गुजराल पुत्र स्व0 श्रीराम गुजराल निवासी 4बी/36 हिल्क नगर थाना तिलक नगर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया।

(iv). उ0नि0 यूटी0 श्री अंकित सिंह थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी प्रकाश मिश्रा द्वारा मु0अ0सं0 142/2024 धारा 294,354,376,506 भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त दुर्गा प्रसाद निषाद पुत्र गौडिया निषाद निवासी सगवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन वरि0उ0नि0 श्री मनीष कुमार तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रितिक यादव उर्फ राजेन्द्र पुत्र अभिलाखन यादव निवासी गुरौली सपहाई थाना बबेरू जनपद बांदा को 500 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

500 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना पहाड़ी
2. उ0नि0 यूटी0 श्री किशन कुमार
3. आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह
4. आरक्षी जय प्रकाश

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल की टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 160/2020 धारा 498ए,304बी भादवि0

व 3/4 द0प्र0 अधिनियम के आरोपी अभियुक्त अखिलेश सोनकर पुत्र गम्भीर सोनकर निवासी कस्बा व थाना राजापुर जनपद जनपद चित्रकूट को 08 वर्ष का कठोर कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.09.2020 को वादी श्री पुरुषोत्तम सोनकर पुत्र भुल्ली सोनकर निवासी गढ़वारा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर सूचना दी थी कि उनकी पुत्री सविता देवी के पति अखिलेश सोनकर उपरोक्त और ससुरालीजन दहेज को लेकर सविता देवी का उत्पीड़न करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उन्होंने उनकी पुत्र की मारपीट कर हत्या कर दी तथा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को कुएं में फेंक दिया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0सं0 160/2020 धारा 498ए,304बी भादवि0 व 3/4 द0प्र0 अधिनियम बनाम अखिलेश सोनकर उपरोक्त, छोटेलाल सोनकर, राजमुनि सोनकर पुत्रगण गम्भीर सोनकर, भारती पत्नी छोटेलाल सोनकर पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री रामप्रकाश द्वारा की गयी तथा बाद में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार यादव को सुपुर्द की गयी। दिनांक 11.01.2021 को आरोपी को अखिलेश सोनकर उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 07.02.2021 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था तथा विवेचना से छोटे सोनकर, राजमुनि सोनकर व भारती का घटना में संलिप्त होना नहीं पाया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल की टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 117/2022 धारा 376,504,506 भादवि0 व 03/04 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त गुड्डू पुत्र किशोरी निवासी गेटा का पुरवा मजरा भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से तथा अभियुक्त किशोरीलाल पुत्र स्व0 बहोरीलाल तथा विषमति या पत्नी किशोरीलाल निवासीगण गेटा का पुरवा मजरा भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 04-04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.07.2022 को वादिया द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी थी कि अभियुक्त उनकी नाबालिक पुत्री के साथ गुड्डू उपरोक्त दुराचार किया है तथा उसके माता पिता ने उसका सहयोग किया है। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 117/2022 धारा 376,504,506 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम गुड्डू, किशोरीला, विषमति या उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन वरि0उ0नि0 श्री रामवीर सिंह द्वारा की गयी, विवेचक द्वारा अभियुक्त को दिनांक 10.09.2022 को अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।